

To be substituted bearing same No. and Date.

प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी,
55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-कम,
उपमण्डल अधिकारी(ना0), बाढडा।

प्रेषित,

श्री सोमबीर सिंह पुत्र श्री गणपतराम,
निवासी मकान न0 202, अशोका रोड़,
विजय नगर, भिवानी तहसील व जिला
भिवानी। (मो0न0 9416058030)

क्रमांक...437...../निर्वाचन/2024

दिनांक 16.10.2024

विषय:- शिकायत बाबत करवाए जाने ई0वी0एम0 मशीनों की निष्पक्ष जांच हेतू।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र क्रमांक 0 दिनांक 09.10.2024 जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई0मेल आई0डी0 पर दिनांक 09.10.2024 को सायं 06:00 बजे के बाद प्राप्त हुआ। आपके द्वारा जो शिकायत पत्र के माध्यम से भेजी गई है वह पूर्णतया निराधार, तथ्यहीन है। मतगणना के दौरान आप स्वयं व आपका चुनाव अभिकर्ता मौजूद रहे थे और आपने मतगणना के दौरान ई0वी0एम0 की बैटरियों की क्षमता 99 प्रतिशत दिखाने बारे कोई मौखिक या लिखित शिकायत नहीं रखी थी। आपने व अन्य पार्टियों व स्वतंत्र उम्मीदवारों ने संयुक्त रूप से लिखित में एक शिकायत कि डाकमतपत्र की गिनती ई0वी0एम0 की मतगणना से पहले करवाने बारे दी थी (Annexure-XXI सलग्न है।)। इस शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही मौके पर ही कर दी गई थी और मतगणना हाल में उपस्थित सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सन्तुष्ट थे। मतगणना केन्द्र पर आपके अतिरिक्त आप द्वारा नियुक्त किए गए मतगणना अभिकर्ता भी सभी 14 टेबल ई0वी0एम0, 1 वी0वी0पैट0 पर्चीया मतगणना बुथ व 10 डाकमतपत्र मतगणना टेबलो पर उपस्थित थे। मतगणना की समाप्ति तक किसी भी मतगणना अभिकर्ता/चुनाव अभिकर्ता या आप सहित किसी भी अभ्यर्थी ने सी0यु0 की बैटरी 99 प्रतिशत होने बारे कोई भी आपत्ति/शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार व केन्द्रीय पर्यवेक्षक से अधिकृत पत्र प्राप्त होने उपरान्त ही अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया गया था। पूर्ण मतगणना प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नियमानुसार सम्पन्न हुई थी। इसके बाद चुनाव आयोग की हिदायतानुसार सभी सी0यु0 की बैटरी निकालकर सी0यु0, बी0यु0 व वी0वी0पैट0 को सिलिंग उपरान्त वापिस जिला ई0वी0एम0 वेयर हाउस में बनाए गए स्ट्रांग

रूम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार जमा करवा दिया गया था तथा सी0यु0 या वी0वी0पैट0 में डाली जाने वाली बैटरी का नम्बर रिकार्ड में कही भी नहीं रखा जाता है जिससे अब यह पता चल सके कि कौन सी बैटरी किस सी0यु0 में लगी हुई थी और न ही आपने किसी विशेष पोलिंग स्टेशन का हवाला दिया है कि किस पोलिंग स्टेशन की सी0यु0 की बैटरी 99 प्रतिशत प्रदर्शित हुई थी। फिर भी आपकी सन्तुष्टि के लिए चुनाव प्रक्रिया की सक्षिप्त जानकारी एवं राजनीतिक पार्टियों एवं उनके प्रतिनिधियों की भीगीदारी का विवरण निम्नानुसार है:-

2. साधारण निर्वाचन से छह माह पूर्व से निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का आरम्भ होता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। इस प्रकार, अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन संपन्न होने तक निरंतर कार्यरत रहते हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि एक रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुसार निरंतर एवं अथक रूप से चौबीसो घंटे तैनात रहते हुए कार्यरत रहते हैं। सभी प्रक्रियाओं के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर का उपस्थित रहना न केवल अनिवार्य है परंतु यह प्रक्रिया को दुरुस्त भी बनाता है। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से अपनी पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से निर्वाचन कार्य को इसके विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए सम्पन्न किया है। आपकी उक्त शिकायत के कारण मुझे अत्यधिक पीड़ा हुई है और मेरे मनोबल को ठेस पहुंची है। तथापि मैं आपकी उक्त शिकायत के संदर्भ में पूरी प्रक्रिया को संक्षेप रूप में बताना चाहता हूँ।

3. चुनाव आयोग द्वारा अपने विभिन्न आदेशों/दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ तकनीकी सुरक्षात्मक विशेषताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को, कोई भी गुंजाइश न छोड़ते हुए पूरी तरह से हेर-फेर से मुक्त बनाती हैं। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हैंडलिंग के प्रत्येक पहलू के लिए चेक लिस्ट तैयार की है, जिसमें विनिर्माता से मशीनों के परिवहन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भंडारण शामिल है। इसके अलावा, चुनाव के विभिन्न चरणों में किसी भी संभाविताना का निराकरण करने के लिए क्या करें और क्या न करें भी शामिल हैं।

4. चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैंडल करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों और प्रक्रियात्मक नियंत्रण एवं संतुलन की एक विस्तृत एवं सख्त प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के संभव दुरुपयोग या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच या किसी भी जान-बूझकर प्रक्रियात्मक चूक को रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मतदान से पहले, मतदान के दौरान या मतदान के बाद या भंडारण/परिवहन के दौरान किसी भी तरह की हेर-फेर/जोड़-तोड़ से सुरक्षित रखा

जाता है। आयोग द्वारा ये सुरक्षोपाय प्रत्येक चरण पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की सक्रिय और अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत सहभागिता के साथ पारदर्शी ढंग से लागू किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की क्षमता और विश्वसनीयता के प्रति उनका विश्वास कायम किया जा सके। ये सभी कार्य और प्रक्रियाएं आयोग के अधीन, निदेशन और नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों या वरिष्ठ जिला अधिकारियों के स्तर पर क्रियान्वित किए जाते हैं, जिसके बारे में आप भली-भांति अवगत हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के एजेंटों की भागीदारी की प्रणाली इतनी सशक्त है कि ईवीएम मशीनों में कोई भी बदलाव या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका स्थानांतरण राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु दोबारा आपकी जानकारी के लिए नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

5. प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी)


- i. पत्र सं. 51/8/16/9/2017-ईएमएस (पीएंडएल) दिनांक 09.11.2017 जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल (अगस्त, 2023) में आगे और अपडेट किया गया है, में शामिल आयोग के अनुदेशों के अनुसार, राज्य में प्रत्येक चुनाव से कम से कम 180 दिन पहले ईवीएम के दोनों भागों और वीवीपैट की गहन प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। एफएलसी का उद्देश्य चुनावों में प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट की प्रामाणिकता और उपयोगिता सुनिश्चित करना है। प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की निगरानी में पूरी तरह से मोर्चाबंद और सुरक्षित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विनिर्माण कंपनी के इंजीनियरों द्वारा की जाती है। डीईओ द्वारा एफएलसी का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाता है और उसे कार्यक्रम के शुरू होने से कम से कम 2 दिन पहले जिला स्तर पर प्रत्येक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के साथ उपयुक्त पावती के अधीन लिखित रूप में साझा किया जाता है और उसकी प्रति दल के राज्य मुख्यालयों को भेजी जाती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एफएलसी के दौरान उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है। यदि वे एफएलसी में भाग लेने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पावती सहित पुनः स्मरण पत्र भेजा जाता है। पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1655 दिनांक 29.07.2024, पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1686 दिनांक 03.08.2024 व पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1701 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा सभी को सूचित किया गया था। (Annexure-I सलग्न है।) एफएलसी में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के



प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखा जाता है।
(Annexure-II सलंग्न है।)

- ii. प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) प्रत्येक बीयू, सीयू और वीवीपैट का एक परीक्षण है जो मशीनों की पूर्ण कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए विनिर्माता द्वारा किया गया है। जांच के उपरांत, विनिर्माता इस बात का उचित प्रमाण पत्र देते हैं कि ईवीएम के सभी संघटक औरिजनल हैं।
- iii. एफएलसी बीईएल/ईसीआईएल द्वारा जारी किए गए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चौबीसों घंटे पूरी सुरक्षा के साथ सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदगी में एक बड़े हॉल में 24*7 सीसीटीवी कवरेज के साथ की जाती है जहां प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उचित रिकार्ड रखने के लिए लॉग बुक रखा रखा जाता है। सम्पूर्ण एफएलसी प्रक्रिया की निगरानी डीईओ और सीईओ स्तर पर नियंत्रण कक्षों में वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाती है और उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाती है।
- iv. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, एफएलसी के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों को उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। उन्हें ऐच्छिक रूप से किसी भी मशीन को चुनने और स्वयं मोक मतदान (मॉक पोल) करने की अनुमति दी जाती है।
- v. एफएलसी के दौरान Control Units को पिंक पेपर सील से सीलबंद किया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर करते हैं।
- vi. मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 55-बाढडा में एफएलसी, जिला मुख्यालय में दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 09.08.2024 तक संचालित किया गया था। निम्नलिखित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने तिथिवार एफएलसी में भाग लिया था: (Annexure-III, IV & V सलंग्न है।)


Details on Witnessing of FLC Process By Recognised Political Parties- District Charhi Dadri	
District Name/Dates	Charkhi Dadri
01-08-2024	AAP-1 (Sh. Rimpi Phogat) INC-1 (Sh. Baljeet Phogat) INLD-1 (Sh. Rajender Singh)



	Ghikara)
02-08-2024	BJP-1 (Sh. Balram Kharera) AAP-1(Sh. Rimpi Phogat)
03-08-2024	AAP-1(Sh. Rimpi Phogat)
04-08-2024	AAP-1(Sh. Rimpi Phogat)
05-08-2024	Nil
06-08-2024	BJP-1 (Sh. Manbir Singh) AAP-1(Sh. Rimpi Phogat)
07-08-2024	Nil
08-08-2024	BJP -1 (FLC Completed on 08-08-2024) (Sh. Manbir Singh)
09-08-2024	BJP-2 (Sh. Kedarnath & Sh. Manbir Singh) AAP-1 (Sh. Rimpi Phogat) JJP-1 (Sh. Rakesh Kalkal) B.S.P-2 (Mock Poll Completed on dated 09-08-2024) (Sh. Shiv Kumar & Sh. Om Parkash)

जिससे प्रतिष्ठित होता है कि आपके राजनैतिक दल सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

6. एफएलसी के बाद भंडारण:-

- i. चुनाव आयोग ने स्ट्रॉंग रूम में "एफएलसी ओके ईवीएम" के भंडारण के लिए और वहां चौबीसो घंटे सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। स्ट्रॉंग रूम में 24*7 सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस बल का कम से कम एक सेक्शन तैनात किया जाता है। ऐसे स्ट्रॉंग रूम और गलियारों के प्रवेश द्वार पर डीवीआर युक्त 24*7 सीसीटीवी कवरेज होगा। 


- ii. प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा लॉग बुक बनाए रखा जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी), प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि स्ट्रॉंग रूम का दौरा करते हैं।
- iii. यह व्यवस्था उस समय तक जारी रहती है जब तक कि चुनाव की तैयारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन नहीं कर लिया जाए।
- iv. राजनीतिक दलों को "एफएलसी-ओके ईवीएम" की सूची तथा सी0यु0 पिक पेपर सील की सूची उपलब्ध करवाकर पावती प्राप्त की जाती है के साथ-2 भण्डारण और उनकी सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाता है। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1715 दिनांक 12.08.2024 के तहत एफ0एल0सी0 ओके ई0वी0एम0 तथा सी0यु0 पिक पेपर सील की सूची उपलब्ध करवाकर पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- XVI सलग्न है।) चरखी दादरी जिले में, "एफएलसी-ओके ईवीएम" के लिए स्ट्रॉंग रूम जिला ई0वी0एम0 वेयरहाउस पर स्थापित किए गए थे।

7.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रैंडमाइजेशन :-

- i. FLC ok Strong Room में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के माध्यम से दो बार रैंडमाइज की जाती हैं। यह Software भारत निर्वाचन आयोग की आईटी टीम द्वारा विकसित किया गया है।

7.2 प्रथम रैंडमाइजेशन:-


- i. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन से पहले अधिकतम 10 प्रतिशत मशीनें प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए निशान - ईवीएम में "प्रशिक्षण और जागरूकता" के साथ अलग रखी जाती हैं। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम रैंडमाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम तय करते हैं और राज्य के सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को नियत पावती के साथ कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रूप में निमंत्रण भेजते हैं। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1919 दिनांक 29.08.2024 के तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से सूचना उपलब्ध करवाकर पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- VI सलग्न है।)



- ii. डीईओ द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रैंडमाइज रूप से मशीनें आबंटित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईएमएस के माध्यम से प्रथम रैंडमाइजेशन किया जाता है। (Annexure- VII सलंगन है।)
- iii. रैंडमाइज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती है और उनसे लिखित रूप में पावती ली जाती है। (Annexure- VIII सलंगन है।)
- iv. चरखी दादरी में, प्रथम रैंडमाइजेशन दिनांक 02.09.2024 को आयोजित किया गया और मेरे निर्वाचन क्षेत्र 55-बाढडा के लिए आबंटित मशीनें मेरे द्वारा दिनांक 05.09.2024 को प्राप्त की गई थीं।
- v. मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित ईवीएम JDKDES Public School, Charkhi Dadri पर पृथक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्ट्रांग रूम में स्टोर किया गया था। जिसकी सूचना सभी राजनैतिक दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1919 दिनांक 29.08.2024 द्वारा दी गई थी।
- vi. भंडारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया वीडियोग्राफी के अधीन पूरी की गई थी।
- vii. जैसा कि आयोग के निर्देशों में शामिल किया गया है, सुरक्षा और सीसीटीवी कवरेज के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई थीं।


7.3. द्वितीय रैंडमाइजेशन : -

- i. उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा द्वितीय रैंडमाइजेशन ईवीएम के माध्यम से किया जाता है।
- ii. यह रैंडमाइजेशन मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और आयोग के आब्जरवर जो अन्य राज्यों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, की उपस्थिति में किया गया।
- iii. राजनैतिक दलों को द्वितीय रैंडमाइजेशन के कार्यक्रम की सूचना, लिखित रूप में, पत्र क्रमांक 77/निर्वाचन/2024 दिनांक 18.09.2024 द्वारा दी गई थी पावती साथ सलंगन है। (Annexure- IX & X सलंगन है।)
- iv. मेरे द्वारा राजनैतिक दलों और श्री बुधेश कुमार वैद्य, आब्जरवर की उपस्थिति में दिनांक 24.09.2024 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वितीय रैंडमाइजेशन का संचालन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव लड़ने अभ्यर्थी/उनके चुनाव अभिकर्ता उपस्थित रहें। (Annexure- XI सलंगन है।)



8. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग/को चालू करना :-

- i. उम्मीदवारियां वापस लेने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग और उनमें उम्मीदवारों को सेट करने का कार्यक्रम तैयार करते हैं।
- ii. सभी उम्मीदवारों को समुचित पावती के साथ कार्यक्रम की सूचना दी जाती है जिसमें उनसे मशीनों को चालू करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/2238 दिनांक 19.09.2024 के तहत सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से सूचित करते हुए पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- XII सलग्न है।)
- iii. उम्मीदवारों से मोक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
- iv. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मशीनों को चालू करने का कार्य पूर्ण सुरक्षा कवरेज और 24*7 सीसीटीवी कवरेज में सुरक्षित परिवेश में एक पृथक हॉल में किया जाता है।
- v. चालू करने (कमीशनिंग) के कार्य का संचालन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) और आरओ द्वारा तैनात किए गए अन्य अधिकारियों द्वारा बीईएल/ईसीआईएल की तकनीकी टीम की सहायता से हॉल में मौजूद आरओ, आयोग के प्रेक्षक और सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति में किया जाता है।
- vi. लोड किए जा रहे प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के साथ अलग से टीवी मॉनिटर संस्थापित किए जाते हैं।
- vii. इस समय, विनिर्माण कंपनी के इंजीनियर फिर से मशीन के हरेक कल-पुरजे की जांच करते हैं और उसे उम्मीदवारों को दिखाने के बाद रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को प्रमाणपत्र देते हैं।
- viii. पहले, बैलेट यूनिट (बीयू) को तैयार और सीलबंद किया जाता है, तब वीवीपैट यूनिट तैयार किया जाता है। एक नया पावर पैक (बैटरी) और नया पेपर रोल संस्थापित किया जाता है। वीवीपैट कम्पार्टमेंट को सील बंद करने के पश्चात, कंट्रोल यूनिट (सीयू) तैयार किया जाता है और उसमें उम्मीदवारों को सेट किया जाता है। सीयू में एक बिलकुल नया पावर पैक संस्थापित किया जाता है। इसके बाद सीयू, बीयू और वीवीपैट के केबलों को जोड़ा जाता है और इस बात की जांच




करने के लिए कि ईवीएम और वीवीपैट ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, मोक मतदान किया जाता है।

- ix. संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मशीन को बंद कर दिया जाता है, वीवीपैट तथा सीयू को सीलबंद कर दिया जाता है। वीवीपैट और सीयू के बैटरी सेक्शनों को भी श्रेड सील और एड्रेस टैग का इस्तेमाल करके सीलबंद कर दिया जाता है।
- x. ईवीएम और वीवीपैट की सभी मुहरों (सील) पर रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों/एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- xi. चालू करने (कमीशनिंग) के बाद मशीनें आयोग द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल के साथ पुनः स्ट्रॉंग रूम में स्टोर की गई थीं। जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/2369 दिनांक 25.09.2024 के माध्यम से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव के दौरान की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से अवगत करवा दिया गया था। (Annexure- XVII सलंगन है।)
- xii. मेरे निर्वाचन क्षेत्र 55-बाढडा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग दिनांक 26.09.2024 से 28.09.2024 तक, मोक पोल और भंडारण दिनांक 29.09.2024 को JDKDES Public School, Charkhi Dadri में प्रेक्षक श्री बुधेश कुमार वैद्य और श्री विजय मोटू कांग्रेस विनय सांगवान निर्दलीय के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया था। (Annexure-XVIII सलंगन है।)


9. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का वितरण (Dispersal):

- i. आयोग के निर्देशानुसार पोलिंग टीमों की खानगी के समय रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को स्ट्रॉंग रूम खोलने की तारीख और समय की सूचना लिखित रूप में देंगे। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/2591 दिनांक 02.10.2024 के तहत सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से सूचित करते हुए पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- XIII सलंगन है।)
- ii. रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में, आयोग के प्रेक्षक और उम्मीदवार/उनके एजेंट, पोलिंग टीमों के पीठासीन अधिकारी इस बात की पूरी तरह जांच करते हैं

- कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट विधिवत रूप से सीलबंद किए गए हैं और उनकी मुहर (सील) और पता टैग अक्षत हैं और बैटरियां संस्थापित की गई हैं।
- iii. उम्मीदवार, सुरक्षा कार्मिक के साथ पोलिंग पार्टियों की रवानगी देखते हैं।
- iv. ईवीएम नियंत्रण कक्ष द्वारा पोलिंग टीमों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही (मूवमेंट) का निगरानी जीपीएस और मोबाइल आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए राज्य के डीईओ और सीईओ के स्तरों पर किया जाता है [कृपया अनुदेशों के सार-संग्रह, 2024 (खंड 1) में उपलब्ध आयोग के अनुदेश सं. 51/8/आईएनएसटी/2019-ईएमपी, दिनांक 05.02.2019 का अवलोकन करें]
- v. डीईओ सभी अभ्यर्थियों और प्रेक्षकों को संबंधित सेक्टर अधिकारियों के विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों और विवरण की अधिसूचना देते हैं।
- vi. आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक इस संबंध में जारी आयोग के अनुदेशों के कड़ाई से अनुपालन की निगरानी करते हैं।
10. मतदान दिवस की व्यवस्थाएं:-
- i. आयोग ने अपने अनुदेश सं. 51/8/अनु./2023-ईएमएस, दिनांक 16.10.2023 के जरिए मतदान के दिन मतदान केंद्र पर ईवीएम हैंडलिंग और पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पदधारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है।
- ii. वास्तविक मतदान आरंभ होने से पूर्व, आयोग के अनुदेश सं. 51/8/7/2019-ईएमएस, दिनांक 30.09.2019 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों के मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा मोक पोल संचालित किया जाता है। मोक पोल में यह सुनिश्चित करते हुए कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए वोट दर्ज हो जाएं।
- iii. मोक पोल के परिणामों को अभिनिश्चित करने के बाद, वीवीपैट पर्चियां निकाली जाती हैं और मोक पोल के आंकड़ों को हटा दिया जाता है और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को फिर से विधिवत रूप से सीलबंद कर दिया जाता है।
- iv. मोक पोल की पूरी प्रक्रिया पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उन्हें पेपर सीलों और थ्रेड सीलों पर भी हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मोक पोल की तारीख और समय के साथ एक मोक पोल प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। 

- v. पीठासीन अधिकारी मोक पोल प्रमाण पत्र और पीठासीन अधिकारियों की डायरी में वास्तविक मतदान आरंभ होने की तारीख और समय भी नोट करते हैं।
- vi. आयोग ने वास्तविक मतदान के दौरान आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए पोलिंग पदधारियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- vii. कंट्रोल यूनिट में "अल्प बैटरी" के संकेत की दशा में, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट का पावर पैक, जो भी मामला हो, आयोग की पत्र सं. 51/8/7/2020-ईएमएस, दिनांक 25.08.2020 में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार तत्काल बदले जाने होते हैं।
- viii. पोलिंग पार्टी की सहायता के लिए, विनिर्माण कंपनी के इंजीनियर के साथ सेक्टर अधिकारी फील्ड में उपलब्ध रहते हैं।
- ix. सेक्टर अधिकारी को आरक्षित मशीनें आबंटित की जाती हैं और जहां भी जरूरत होती है, मशीनें बदल दी जाती हैं।
- x. यदि किसी मशीन को बदला जाता है, तो मोक पोल और सीलबंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया नई मशीन पर दोहराई जाती है। पोलिंग एजेंटों को मुहरों (सील) पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है।
- xi. मतदान की समाप्ति के बाद, पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का 'क्लोज' बटन दबाकर मशीन को बंद कर देता है। वह फॉर्म 17ग में ईवीएम में दर्ज वोटों की कुल संख्या और पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान की समाप्ति की तारीख और समय नोट करता है। फॉर्म 17ग में दर्ज विवरण मतदान की समाप्ति के समय पर मौजूद पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किए जाते हैं।
- xii. तब पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को वियोजित (डिस्कनेक्ट) कर देता है और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को खोल (कैरिडिंग केस) में डाल देता है।
- xiii. पीठासीन अधिकारी वीवीपैट का पावर पैक (बैटरी) निकालता है और फिर मतदान केंद्र में मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट को सीलबंद कर देता है।
- xiv. पीठासीन अधिकारी एड्रेस टैग पर अपना हस्ताक्षर करता है और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर कराता है।
- xv. मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में संग्रहण केंद्र (कलेक्शन सेंटर) तक ले जाई जाती हैं।

11. मतयुक्त ईवीएम का भंडारण:-



1. मतयुक्त ईवीएम और आरक्षित नाकाम ईवीएम के भंडारण के लिए, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले से ही पृथक स्ट्रांग रूम निर्धारित किए जाते हैं।
2. मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपयुक्त वीडियोग्राफी के तहत अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को पूर्व में सूचना देकर आयोग के पत्र सं. 464/स्ट्रांग रूम/2023-ईपीएस, दिनांक 18.07.2023 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार, सुरक्षित भंडारण के लिए जमा कर दी जाती हैं।
3. मतयुक्त ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम में, संबंधित वर्गों/रैकों में खास-खास मतदान केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ढेर लगाने के लिए फ्लोर स्पेस निर्धारित किया जाता है।
4. आयोग ने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भंडारण के लिए सख्त सुरक्षात्मक एवं संरक्षात्मक उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—
 - i. बिना किसी खिड़की या वैकल्पिक दरवाजे के स्ट्रांग रूम में प्रवेश का एकमात्र रास्ता।
 - ii. वज्र गृह, जहां मतयुक्त ईवीएम रखी जाती हैं, में डबल लॉक सिस्टम होता है। लॉक-1 की चाबियां रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं जबकि लॉक-2 की चाबियां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं।
 - iii. द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है जिसमें सबसे भीतरी परिधि सीएपीएफ कवरेज के अधीन और बाह्य परिधि राज्य सशस्त्र पुलिस बल के अधीन रहती है।
 - iv. स्ट्रांग रूम की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
 - v. प्रत्येक प्रवेश, निकास के लिए और सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर के लिए सीएपीएफ द्वारा उचित उपयुक्त लॉग बुक बनाए रखा जाता है। आंतरिक परिधि को पार करने वाले व्यक्ति की तिथि, समय, अवधि और नाम लॉग बुक में दर्ज प्रविष्ट किए जाते हैं और प्रत्येक मामले में हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसमें प्रेक्षक या जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) या उम्मीदवार या उनके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के दौरे (विजिट) शामिल हैं।
 - vi. कोई भी वाहन, जिसमें किसी भी पदधारी या मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी के वाहन शामिल हैं, को उस सुरक्षित परिसर के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वीवीपैट तथा चुनावी कागजात निर्वाचन पत्र स्टोर किए गए हैं।



- vii. उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोलते और बंद करते समय प्रवेश बिंदु की निरंतर वीडियोग्राफी की जाती है।
- viii. उम्मीदवार आंतरिक परिधि के बाहर से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते रहने के लिए अपने लोगों को तैनात कर सकते हैं। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/2468 दिनांक 28.09.2024 के तहत सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से सूचित करते हुए पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure-XIX सलंगन है।)
- ix. मतदान उपरान्त ई0वी0एम0/वी0वी0पैट0 व अन्य निर्वाचन सामाग्री स्ट्रांग रूम में सील करवाने की सूचना सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों/चुनाव अभिकर्ताओं को पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/2369 दिनांक 25.09.2024 के तहत प्रदान कर दी गई थी। (Annexure-XVII सलंगन है।)
5. मेरे निर्वाचन क्षेत्र 55-बाढडा की मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन साधारण प्रेक्षक श्री बुधेश कुमार वैद्य, जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी व पुलिस अधीक्षका, चरखी दादरी और निम्नलिखित दलों के अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 05.10.2024 को रात्री 12:25बजे (दिनांक 06.10.2024) JDKDES Public School, Charkhi Dadri के स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थी:
- श्री विजय मोटू चुनाव अभिकर्ता कांग्रेस पार्टी।
 - श्री विनय सांगवान चुनाव अभिकर्ता निर्दलीय सोमबीर घसौला।

प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की गई और लॉग बुक में उम्मीदवारों/उनके एजेंटों के हस्ताक्षर भी लिए गए थे। उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षा देखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने की अनुमति दी गई थी। स्ट्रांग रूम की लॉग बुक की प्रति तथा स्ट्रांग रूम के Round the Clock Monitoring के लिए नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों के आदेशों की प्रति सलंगन है। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/2465 दिनांक 28.09.2024 के तहत सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से सूचित करते हुए पावती प्राप्त कर ली गई थी। (Annexure- XIV & XIX सलंगन है।)

12. फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की जांच पडताल :-

- फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की जांच पडताल के लिए नियत दिन पर, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, प्रेक्षक और निर्वाचन लड़ने वाले



अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन एजेंटों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रपत्र स्ट्रांग रूम वीडियोग्राफी के अधीन खोला जाता है।


- ii. फॉर्म 17ए की संवीक्षा के लिए अपेक्षित संगत कागजात, यदि ढोए जाने अपेक्षित हों, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ समुचित पुलिस अनुरक्षण के अंतर्गत ढोए जाते हैं। उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को, ऐसे कागजात को ढोकर ले जाने वाले वाहन के पीछे-2 चलने की अनुमति दी जाती है।
- iii. यात्रा योजना (ट्रैवल प्लान) के बारे में उम्मीदवारों/उनके चुनाव एजेंटों या उनके प्रतिनिधियों को समुचित जानकारी दी जाती है।
- iv. फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों की जांच पडताल पूरी होने के बाद, उन्हें उनके संबंधित पैकेटों में फिर से पैक किया जाता है और लॉग-बुक में प्रविष्टि करने तथा उस समय उपस्थित सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों, प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर लेने के बाद स्ट्रांग रूम को बंद और सीलबंद कर दिया जाता है।
- v. फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों वाले स्ट्रांग रूम को खोलने और बंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत रूप से वीडियोग्राफी की जाती है।
- vi. मेरे 55-बाढडा में जांच पडताल की प्रक्रिया दिनांक 06.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे कान्फ्रेस हाल उपायुक्त कार्यालय, चरखी दादरी में श्री बुधेश कुमार वैद्य प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई थी।

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया की कार्यवाही रिपोर्ट व विभिन्न चुनाव लडने वाले अभ्यार्थी/चुनाव अभिकर्ता/प्रतिनिधि उपस्थित रहे। (Annexure-XX & XXII सलंगन है।)


13. मतों की गिनती:-

- i. मतगणना के दिन, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाले स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आरओ/एआरओ की तथा निम्नलिखित राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के अधीन खोला गया :-
(Annexure-XV सलंगन है।)

- श्री यशवीर, जन-नायक पार्टी।
- श्री सन्दीप, निर्दलीय।



- श्री उमेद पातुवास, भाजपा।
 - श्री विजय पंचगाव, इनेलो।
 - श्री अजीत सिंह, निर्दलीय।
 - श्री सोमवीर सिंह, कांग्रेस।
 - श्री सोमवीर घसोला, निर्दलीय।
- ii. मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रॉंग रूम से मतगणना हॉल तक ले जाने की तैयारी मोर्चाबंद रास्ते से सुरक्षित तरीके से की जाती है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि दो स्ट्रॉंग रूमों की मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) का रास्ता एक-दूसरे से न टकराए। मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) की वीडियोग्राफी भी की जाती है।
 - iii. मतगणना हॉल में केवल कंट्रोल यूनिट (सीयू) ही लाई जाएंगी।
 - iv. कंट्रोल यूनिट (सीयू) को चालू करने से पहले, उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में मतगणना स्टाफ द्वारा सील की गहन जांच की जाती है।
 - v. कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों का मिलान फॉर्म 17ग में उल्लिखित मतों की कुल संख्या से किया जाता है, जिसे पहले ही मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किया गया था।
 - vi. कंट्रोल यूनिट पर मतदान का प्रारंभ समय एवं तारीख और मतदान की समाप्ति समय और तारीख सत्यापित की जाती है और पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है।
 - vii. मतगणना एजेंट फॉर्म 17ग में हस्ताक्षर करके प्रमाणित करते हैं कि कंट्रोल यूनिट वही है जिसका उपयोग उसी मतदान केंद्र में किया गया था।
 - viii. आयोग ने पोलिंग स्टाफ द्वारा प्रक्रियात्मक चूक करने या मतदान की तारीख और समय के विवरण में असंगति के मामले में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट अनुदेश दिए हैं।
 - ix. प्रत्येक चक्र की मतगणना पूरी होने पर, रिटर्निंग अधिकारी उस चक्र के परिणाम की घोषणा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में मतों की गणना के आखिरी चक्र के अंत में, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 Randomly रूप से चयनित मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का अधिदेशात्मक सत्यापन करते हैं।
 - x. इन 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का यादृच्छिक चयन आयोग द्वारा अपने अनुदेश सं. 51/8/वीवीपैट-अनु./2019-ईएमपीएस, दिनांक 15.04.2019 में निर्धारित



प्रक्रिया के अनुसार आरओ द्वारा चिट्ठी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के माध्यम से किया जाता है।

- xi. उम्मीदवारों को चिट्ठी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के संबंध में पहले से लिखित सूचना दी जाती है।
- xii. यदि ईवीएम में दर्ज मतों और वीवीपैट पेपर पर्ची गणना के बीच कोई असंगति होती है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56(घ)(4)(ख) के अनुसार वीवीपैट पेपर पर्ची मान्य होगी।
- xiii. ईवीएम मतगणना और अधिदेशात्मक वीवीपैट पेपर पर्ची गणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है।
- xiv. मतगणना के शुरू होने से लेकर परिणाम घोषित किए जाने तक आयोग के प्रेक्षक मौजूद बने रहते हैं।
- xv. मेरे निर्वाचन क्षेत्र 55-बाढडा में, JDKDES Public School, Charkhi Dadri पर दिनांक 08.10.2024 को आयोग के मतगणना प्रेक्षक Sh. NN Madhu, GJ 2012 और उम्मीदवार/उनके मतगणना/चुनाव एजेंट की उपस्थिति में मतगणना संपन्न हुई। वैसे मतदान केंद्र जो निर्देशानुसार वीवीपैट पर्ची गणना के लिए रैंडम रूप से चयनित किए गए थे, क्रम सं. 50-पातुवास, 65-झोझू कलां, 70-बादल, 87-काकडौली हटटी, 108-पंचगाव पर थे।


14. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार/उनके एजेंट चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। आयोग के प्रत्येक दिशा-निर्देशों का प्रक्षेपण तथा पालन किया गया एवं समय-समय पर आपको इन प्रक्रियाओं के बारे में समय से सूचित भी किया गया। आपके उम्मीदवार/प्रतिनिधि विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे थे तथा चुनाव के विभिन्न सोपानों का उनके समक्ष कार्यान्वयन किया गया है। मतगणना के दौरान या बाद में उसी दिन किसी भी अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता ने ई0वी0एम0 की कार्यप्रणाली, बैटरी सम्बंधित व अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत चुनाव पर्यवेक्षक व मेरे सामने प्रस्तुत नहीं की थी। मतगणना की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी तरीके से विधिवत रूप से सम्पन्न हुई थी।

15. बैटरी पैक के ऊपर 99: चार्ज दर्शित (डिस्प्ले) होना:- जहां तक कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले में बैटरी की स्थिति का 99: प्रदर्शित होने का प्रश्न है, इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कंट्रोल यूनिट में बैटरी कमीशनिंग के दौरान उम्मीदवारों की उपस्थिति में डालकर सीलबंद की जाती है। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में एल्कालाइन बैटरी

का उपयोग होता है। यह बैटरी कंट्रोल यूनिट के साथ 04 बैलेट यूनिट लगाने पर भी 2000 वोटों तक के लिए सक्षम होती है तथा यह उच्च गुणवत्ता की बैटरी होती है। नए पावर पैक की प्रारम्भिक वोल्टेज लगभग 7.4 से 8.0 वोल्ट तक होती है तथा इसकी पावर खपत बहुत कम होती है। वोल्टेज के 7.4 के ऊपर होने पर बैटरी की क्षमता 99: प्रदर्शित होती है। उपयोग के साथ बैटरी की क्षमता और परिणामी वोल्टेज कम होता जाता है। जैसे ही वोल्टेज 7.4 से कम होता है, बैटरी की वास्तविक उपलब्ध क्षमता यानि 98: से नीचे प्रदर्शित होने लगती है। बैटरी में 5.8 से अधिक वोल्ट रहने पर कंट्रोल यूनिट कार्यरत रहती है। डिस्प्ले में प्रदर्शित प्रतिशत, कंट्रोल यूनिट पर किए गए मॉक पोल, वास्तविक पोल तथा बैटरी की प्रारम्भिक वोल्टेज पर निर्भर होती है जो विभिन्न मतदान केन्द्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में भिन्न-भिन्न हो सकती है।

16. यह दोहराया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सख्त प्रोटोकॉल और हर समय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), पुलिस आदि के सुरक्षा कवर में रखा गया है। अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों के साथ आप/आपके अधिकृत एजेंट ईवीएम हैंडलिंग के प्रत्येक चरण – बैटरी सेक्शन को सीलबंद करने के समय से शुरू करके उन्हें वापस स्ट्रॉंग रूम में स्टोर करने तक, मतदान के दिन उन्हें बाहर निकालने के समय, पूरे मतदान के दिन, मतदान बंद होने के समय सीलबंद करने, उन्हें पुनः मतदान केंद्रों से ढोकर स्ट्रॉंग रूम में ले जाने, मतगणना के दिन उन्हें सभी सील के साथ बाहर लाने तक – में शामिल थे।

17. इसके अलावा, वर्ष 2023 की रिट याचिका (सिविल) सं. 434 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र सं. 51/8/अनुदेश/2024-ईएमएस, दिनांक 01.06.2024 में समाविष्ट अपने अनुदेशों के जरिए प्रशासनिक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्दिष्ट की है जिसमें जांच की जाने वाली यूनिटों को बाहर निकालने की आवेदन प्रक्रिया, प्रोटोकॉल तथा ईवीएम यूनिट (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) की बर्निट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की मतगणना उपरांत जांच और सत्यापन, प्रलेखन कार्य, आदि के लिए संरक्षोपाय एवं प्रोटोकॉल वर्णित किए गए हैं। उक्त अनुदेशों के पैरा 3(सी) में दी गई समय-सीमा के अनुसार, पात्र उम्मीदवार परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर संबंधित डीईओ से लिखित अनुरोध कर सकते हैं। मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् 55-बाढडा से आईएनसी व अन्य पार्टी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से मुझे ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।




18. इन सबके अलावा, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं 55-बाढडा में श्री बुधेश कुमार वैद्य, आई0ए0एस0, एम0पी0 2014 सामान्यन प्रेक्षक के रूप में, श्री प्रीतेन्द्र सिंह, आई0पी0एस0, यु0पी0 2004 पुलिस प्रेक्षक के रूप में और श्री एन0एन0 मधु, जी0जे0, 2012 मतगणना प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। सभी के कांटेक्ट. नं. सभी उम्मीदवारों को उपलब्ध कराए गए थे। सभी प्रक्रियाएं प्रेक्षकों की निगरानी में पूरी की गई। आपके उम्मीदवारों/एजेंटों द्वारा प्रेक्षकों के समक्ष भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

19. 55-बाढडा के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में मैंने चुनाव आयोग के सभी अनुदेशों का पूरी तरह से अध्ययन किया है। आयोग के निर्देशानुसार मैंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ नियमित रूप से संवाद किया है और उन्हें प्रत्येक चरण की सूचना लिखित रूप में, उनसे मिली पावतियों के साथ, दी है। जब कभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा कोई मुद्दा उठाया गया, तो मैंने या मेरे सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने उसका विद्यमान उपबंधों और आयोग के अनुदेशों के अनुसार तुरंत निराकरण किया। पुनः आपकी शिकायत में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर तथ्य आधारित पड़ताल की गई जिसमें आपके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार एवं तथ्यहीन पाए गए।

यहां पुनः अवगत करवाया जाता है कि - प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) के दौरान आपके राजनैतिक दल से श्री बलजीत फौगाट, प्रथम चरण के रैंडमाइजेशन के दौरान श्री सुमेश कुमार, द्वितीय चरण के रैंडमाइजेशन, चुनाव से पांच-सात दिन पहले ईवीएम की कमीशनिंग, बैटरी लगाने के पश्चात उसके एड्रेस टैग में उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर लेना, तत्पश्चात स्ट्रांग रूम में उनका भंडारण, वितरण केन्द्र से पोलिंग पार्टियों को चालू (कमीशन) की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वितरित करने, पोलिंग पार्टियों के मतदान केन्द्रों तक पहुंचने, मतदान वाले दिन मतदान से पहले मॉक पोल करने, पूरे दिन मतदान होने, मतदान के पश्चात क्लोज का बटन दबाने, मतदान के दौरान कितनी वोटिंग हुई उसका हिसाब पोलिंग एजेंट को देने, मतदान के बाद ईवीएम को सीलबंद करने तथा उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर लेने, तदुपरांत ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर स्ट्रांग रूम में जमा कराने तथा स्ट्रांग रूम को सीलबंद करने के दौरान श्री विजय मोटू, आपके चुनाव अभिकर्ता उपस्थित रहे, फिर मतगणना वाले दिन स्ट्रांग रूम को खोलने के दौरान आप स्वयं उपस्थित रहे, ईवीएम को काउंटिंग हॉल में लाने, मतगणना करने से पहले ईवीएम की सील चैक करने तथा पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर सत्यापित करने, मतगणना के दौरान प्रत्येक चक्र में फॉर्म-17ग से ईवीएम में पड़े मतों का मिलान करने, चक्रवार परिणाम घोषित करने -इन सभी प्रक्रियाओं में आप या आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि लगातार उपस्थित रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, इन समस्त प्रक्रियाओं की केन्द्रीय प्रेक्षकों, सेक्टर अधिकारियों द्वारा निरंतर मॉनीटरिंग की गई है तथा ये सभी प्रक्रियाएं वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कवरेज/लॉग बुक/रजिस्टर में प्रविष्टियों के अंतर्गत कवर की गई हैं। उपर्युक्त प्रक्रियाओं के दौरान बनाए गए लॉग बुक से पता चलता है कि इन प्रक्रियाओं के दौरान आप या आप के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, हेर-फेर अथवा जोड़-तोड़ सर्वथा असंभव है।

इसलिए, आपके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद, तथ्यहीन और बाद में उत्पन्न विचार (ऑफ्टरथॉट) से प्रेरित प्रतीत होते हैं और मिथ्या नैरेटिव गढ़ने की भावना से ग्रसित प्रतीत होते हैं। इसके बावजूद, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए इस प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा चुनाव को चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध है।



(सुरेश कुमार, एच0सी0एस)
रिटर्निंग अधिकारी,
55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-कम,
उपमण्डल अधिकारी(ना0), बाढडा।

पृ0क्रमांक...438-39...../निर्वाचन/2024

दिनांक 16.10.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ की सेवा में।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी की सेवा में।


रिटर्निंग अधिकारी,
55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-कम,
उपमण्डल अधिकारी(ना0), बाढडा।



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

चुनाव का पत्र
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-1

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1655

दिनांक: 24-07-2024

सेवा में,

1. जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के प्रधान/सचिव

विषय:-

Deployment of BEL Engineers for FLC of EVMs & VVPATs at Haryana to be used during Forthcoming General Election to Haryana Vidhan Sabha 2024.

उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 256/HVS/Elec-2024/E-1016401/3AE-7140 दिनांक 18.07.2024 के निर्देशानुसार दिनांक 01.08.2024 से BEL Engineers के द्वारा EVMs/VVPATs की FLC की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं/आपका प्रतिनिधि दिनांक 01.08.2024 को प्रातः 09:00 बजे EVM Ware House, Charkhi Dadri में पहुंचने का कष्ट करें ताकि FLC का कार्य आपकी उपस्थिति में शुरू करवाया जा सके।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी। ६

1. Anand (AAP)
24-07-24

2. Ravinder
24/7/24

3. अश्वीर सिंह
(BJP) 9813899200
नामिका सिंह

4. जय जगवान
(INLD) 9215349999
Jai Bhagwan

5. B. Ajit Prasad Block President
Congress Ch: Dham
9812620081



01C
DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-1

स्मरण पत्र-1

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1686

दिनांक 03.08.2024

सेवा में

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,

विषय:-

Deployment of BEL Engineers for FLC of EVMs & VVPATs at Haryana to be used during Forthcoming General Election to Haryana Vidhan Sabha, 2024.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1655 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा लिखा गया था कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्येनजर इस जिला की ई0वी0एम0/वी0वी0पेट की First Level Checking (FLC) दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 16.08.2024 तक BEL के Engineers द्वारा की जा रही है और उक्त सन्दर्भित पत्र के तहत ई0वी0एम0/वी0वी0पेट की First Level Checking (FLC) के दौरान प्रतिदिन आप स्वयं या आपका प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया था परन्तु दिनांक 01.08.2024 को केवल 3 राजनैतिक दलों (AAP, INLD & INC) तथा 02.08.2024 को केवल 2 राजनैतिक दलों (BJP & AAP) के प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए हैं।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ई0वी0एम0/वी0वी0पेट की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) के दौरान आप स्वयं या आपका प्रतिनिधि प्रतिदिन नियमित तौर पर जिला ई0वी0एम0 वेयरहाऊस में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

Handwritten signature

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

L 9813639700-



0/L



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure - 1

स्मरण पत्र-2

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1701

दिनांक

07/08/2024

सेवा में

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,
(सिवाये BJP & AAP)

विषय:-

Deployment of BEL Engineers for FLC of EVMs & VVPATs at Haryana to be used during Forthcoming General Election to Haryana Vidhan Sabha, 2024.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1655 दिनांक 29.07.2024 तथा पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1686 दिनांक 03.08.2024 के द्वारा लिखा गया था कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्येनजर इस जिला की ई0वी0एम0/वी0वी0पेट की First Level Checking (FLC) दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 16.08.2024 तक BEL के Engineers द्वारा की जा रही है और उक्त सन्दर्भित पत्रों के तहत आपका प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया था परन्तु आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आप स्वयं/आपका प्रतिनिधि नियमित रूप से उपस्थित नहीं हुए हो।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ई0वी0एम0/ वी0वी0पेट की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) के दौरान आप स्वयं या आपका प्रतिनिधि प्रतिदिन नियमित तौर पर जिला ई0वी0एम0 वेयरहाऊस में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana

Name District: Charkhi Dadri

Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 01.08.2024

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1	AAP	12th, 12th	M.C DEC 22/341	[Signature]	
2	माजरा	मजरा मजरा	मजरा मजरा BWN 361	Bajiraj	
3	INLD Dadri	राजेश सिंह सिन्हा	सिन्हा HEI...	[Signature]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

[Signature]
Dy. District Election Officer,
Charkhi Dadri

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana

Name District: Charkhi Dadri

Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 02.08.2024

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1	BSP	ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ	15/01/2024 ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ	ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ	
2	AAP	ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ	ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ	ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

Mush
Dy. District Election Officer,
Charkhi Dadri


Annexure-3
(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana
 Name District: Charkhi Dadri
 Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 03-8-2024

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1.	AAP	12/1/2024	N.C. AAP	[Signature]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.


 Dy. District Election Officer,
 Charkhi Dadri

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana

Name District: Charkhi Dadri

Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 04/07/24

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
	AAP	AAP N.C.	22/341		

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.


Dy. District Election Officer,
Charkhi Dadri

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana

Name District: Charkhi Dadri

Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 06/01/24

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
	AAP	शशि कान्त N.C	618/24 22/341	[Signature]	
	B.S.P.	मनदीप	6.8.24	[Signature]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

[Signature]
Dy. District Election Officer,
Charkhi Dadri

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State: Haryana

Name District: Charkhi Dadri

Address of FLC hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date:- 08-08-24

Sr. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1.	B.J.P.	नातलिंगे		नातलिंगे	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

Adish
 Dy. District Election Officer,
 Charkhi Dadri



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।



Annexure-111

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1702
सेवा में,

दिनांक: 07/08/2024

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,

विषय 5% Randomly EVMs FLC ok unit का mock poll करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई0 वी0 एम0 वेयरहाउस में EVMs (BU, CU & VVPATs) का First Level Checking का कार्य चल रहा है। 5% Randomly EVMs FLC ok unit का mock poll दिनांक 09.08.2024 को सुबह 9 बजे से शुरू करवाया जाना है।

अतः आप से अनुरोध है कि आप स्वयं /आपका प्रतिनिधि दिनांक 09.08.2024 को प्रातः 09:00 बजे EVMवेयर हाउस चरखी दादरी में पहुँच कर उक्त mock poll प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने का कष्ट करें।

Adh
कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पु0 क्रमांक निर्वाचन-2024/1703

दिनांक: 07/08/2024

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

Adh
कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

Annexure-IV

(Mock Poll Selection Certificate during FLC of EVMs)

ANNEXURE-7

Name of State:- Haryana
Name of District: Charkhi Dadri
Address of FLC Hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

Date: 09.08.2024

It is certified that I have been allowed to pick machines (EVMs as well as VVPATs) randomly for the purpose of mock -poll.

Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks if any
BJP	KEPAR NATH Office Saha Sec		[Signature]	
AAP	[Signature] N. C 22/241		[Signature]	
TJP	Rajesh Kd Kd		[Signature]	
B.S.P	Shivkumar Ex president		[Signature]	
B.S.P.	om panch Distt product		[Signature]	
B.S.P	Manoj She Distt. Office Secretary	9813899200	[Signature]	

[Signature]
Dy. D.E.O.
Charkhi Dadri

ANNEXURE-8

(Mock Poll by Representatives of National and State Recognised Political Parties during FLC of EVMs)

Date: 09.08.2024

Name of State:- Haryana
 Name of District:- Charkhi Dadri
 Address of FLC Hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

It is certified that I have done mock poll on EVMs along VVPATs and I am fully satisfied with the function of EVMs and VVPATs

Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks
BJP	KEDAR NATH OFFICE ASST Secy		[Signature]	
AAP	[Signature] N.C. 22/241		[Signature]	
JSP	[Signature]		[Signature]	
B.J.P	[Signature] OFFICE Secretary	9813899900	[Signature]	

[Signature]
 Dy. D.E.O.
 Charkhi Dadri

(Mock Poll certification during FLC of VVPATs)

Date: 09.08.2024

Name of State:- Haryana
 Name of District:- Charkhi Dadri
 Address of FLC Hall: Behind Sadar Thana Charkhi Dadri

It is certified that the results of the printed ballot slips of VVPATs (list of unique ID of VVPATs attached) have been tallied with the electronic result of the respective Control Units. There are no discrepancies between the electronic count of the Control Units and count of printed ballot paper slips of VVPATs.

No.	Name of National/State Political Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks if any
	BJP	KEDAR NATH office bear		[Signature]	
	AAP	[Signature]		[Signature]	
	IJP	Kolekh Kallu		[Signature]	
	B.S.P.	[Signature]		[Signature]	

Name and Signature of BEL/ECIL Engineers

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

(Signature) [Signature]
 Name of FLC-Supervisor: Abhishek Sangwan, IAS
 Designation: CTM-cum-Dy. DEO
 Dy. D.E.O.
 Charkhi Dadri



o/c



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-V

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1702
सेवा में,

दिनांक : 07/08/2024

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,

विषय 5% Randomly EVMs FLC ok unit का mock poll करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई0 वी0 एम0 वेयरहाउस में EVMs (BU, CU & VVPATs) का First Level Checking का कार्य चल रहा है। 5% Randomly EVMs FLC ok unit का mock poll दिनांक 09.08.2024 को सुबह 9 बजे से शुरू करवाया जाना है।

अतः आप से अनुरोध है कि आप स्वयं /आपका प्रतिनिधि दिनांक 09.08.2024 को प्रातः 09:00 बजे EVMवेयर हाउस चरखी दादरी में पहुँच कर उक्त mock poll प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने का कष्ट करे।

Adh
कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पू0 क्रमांक निर्वाचन-2024/1703

दिनांक: 07/08/2024

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ को सूचनार्थ प्रेषित है।

Adh
कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।



Annexure - VI

क्रमांक: निर्वाचन-2024/1919

दिनांक: 29.08.2024

सेवा में

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,

विषय:-

1st Randomization of EVMs for General Election to Haryana Vidhan Sabha-2024 regarding.

उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 256/Randomization/Gen. Elec.2024/3AE-8526 दिनांक 29.08.2024(प्रति सलग्न) के सन्दर्भ में। सन्दर्भित पत्र की पालना में आपको अवगत करवाया जाता है कि EVMs/VVPATs की 1st Randomization दिनांक 02.09.2024 को दोपहर 12:00 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हाल नं0 1 लघु सचिवालय में किया जाना है तथा 1st Randomization उपरान्त EVMs/VVPATs को 55-बाढडा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room क्रमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri में स्थानान्तरित किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप/आपका प्रतिनिधि दिनांक 02.09.2024 को दोपहर 12:00 बजे मीटिंग हाल नं0 1 लघु सचिवालय चरखी दादरी में पहुँचने का कष्ट करें, EVMs/VVPATs के स्थानान्तरण के दौरान तथा 55-बाढडा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room क्रमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri में भी उपस्थित रहने का कष्ट करें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024/1920

दिनांक 29.08.2024

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी।
3. 55-बाढडा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि वह 1st Randomization उपरान्त EVMs/VVPATs को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रखवाने का कष्ट करें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

Attendance Register for National and State Recognised Political Parties During 1st Randomization of EVMs/VVPATs at meeting Hall No.-1 Mini Secretariat Under the Chairmanship of Deputy Commissioner-cum- District Election Officer.

Name of State: Haryana

Name of District: Charkhi Dadri

Date:02.09.2024

Sl. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks
1	AAP	[Handwritten Name]	N.C	[Handwritten Signature]	
2	INC	Sumeet Kumar	M.B	[Handwritten Signature]	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

After the 1st Randomization of EVMs/VVPATs, List of EVMs/VVPATs of 55- Badhra & 56- Dadri Assembly Constituency Provided to All National/State Recognised Political Parties and obtain written acknowledgment..

Name of State: Haryana

Name of District: Charkhi Dadri

Date: 02.09.2024

No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Mobile No.	Identity document No. with date	Signature
1	BJP	Amj Mitt	981363970	N.C	Amj Mitt
2	I.N.C.	Sameer Kumar	8059057605	M. b.	Sameer
3	BJP	शशिभूषण शर्मा शशिभूषण शर्मा	9813899200		शशिभूषण शर्मा
4	I.N.L.D	शशिभूषण शर्मा (शशिभूषण शर्मा) शशिभूषण शर्मा	9355533333		Shashibhushan
5	JJP	Rishabh Kumar Rishabh Kumar	9050190543		Rishabh
6	BSP	शशिभूषण शर्मा शशिभूषण शर्मा	9812159800		शशिभूषण शर्मा
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Annexure-IX

After the 2nd Randomization of EVMs/VVPATs, List of EVMs/VVPATs along with 1st Randomization list of 55- Badhra Assembly Constituency Provided to All Contesting Candidates of 55-Badhra AC and obtain written acknowledgment.

Name of State: Haryana
 Name of District: Charkhi Dadri
 No. & Name of AC:- 55-Badhra

Date: 24.09.2024

No.	Name of Contesting Candidates/Election Agents	Name of political party/Independent	Signature	Mob. No.
1	Vidy Nand	Independent		8059248974
2	UMEDSINGH	B.J.P		9728885600
3	Satbir	I.N.L.D.	SATBIR	9812362857
4	Rajh. Chakur	AAP.		981392450
5		Cong.		9518282411
6	Jas Singh	Independent	Jas Singh	787740000
7	Vijay Singh	J.J.P.		9812339564
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

③

Annexure-X

प्रेषक,

रिटनिंग अधिकारी
55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी(ना0), बाढडा।

सेवा में,

55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी।

क्रमांक : 77/Election/2024


दिनांक : 18.09.2024

विषय :- 1st supplementary Randomization and 2nd Randomization of
EVMs for General Election to Haryana Vidhan Sabha-2024
regarding.

उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक
No.256/Randomization/Gen. Elec. 2024/3AE-9936 दिनांक 17.09.2024 के सन्दर्भ में:-

उक्त सन्दर्भित पत्र के तहत हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मध्यनजर
55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए प्रयुक्त होने वाली EVMs/VVPATs का 2nd
Randomization दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे मीटिंग हॉल नं0 1, लघु सचिवालय, चरखी
दादरी में सामान्य पर्यवेक्षक महोदय व अधोहरस्ताक्षरी की उपस्थिति में किया जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं/आपका चुनाव अभिकर्ता दिनांक 24.09.2024 को प्रातः
11:00 बजे मीटिंग हॉल नं0 1, लघु सचिवालय, चरखी दादरी में पहुँचने का कष्ट करें।


रिटनिंग अधिकारी


55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी(ना0), बाढडा।

पृ0 क्रमांक: 78/Election/2024

दिनांक: 18.09.2024

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)।
3. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी।



रिटनिंग अधिकारी

55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी(ना0), बाढडा।

पृ0 क्रमांक: 79/Election/2024

दिनांक: 18.09.2024

इसकी एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, चरखी दादरी को भेजते हुए निर्दिष्ट
दिए जाते हैं कि आप उक्त 2nd Randomization के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध पूर्ण करना सुनिश्चित करें।



रिटनिंग अधिकारी

55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी(ना0), बाढडा।

पृ० क्रमांक: 80/Election/2024

दिनांक: 18.09.2024

इसकी एक प्रति M/s NIT Computer Kaithal firm (9416191794, 9729600201) को भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि आप दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 10:45 बजे एक विडियोग्राफर जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी में भेजना सुनिश्चित करें।



रिटर्निंग अधिकारी
55-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उप मण्डल अधिकारी(ना०), बाढडा।

Recd.
19/9/2024

Attn
8307771269
INLD

9813924500

A.A.P.



9812029445

B.A.P.


SURESH

M-

9992840094

का.वे.सि

सोमनर अलोक
7877400002


J.P.
7200930000

Attendance Register for All Contesting Candidates of 55-Badhra AC During 2nd Randomization of EVMs/VVPATs at Meeting Hall No.-1 Mini Sec. Charkhi Dadri in presence of ECI General Observer & RO of 55-Badhra AC.

Name of State: Haryana
 Name of District: Charkhi Dadri
 No. & Name of AC- 55-Badhra

Date: 24.09.2024

Sl. No.	Name of Contesting Candidates / Election Agents	Name of political party/Independent	Signature	Mob. No.
1	Midy Nand	Independent	[Signature]	8059268974
2	UMEDSINGH	B.J.P	[Signature]	9728885600
3	Satbir	I.N.L.D.	[Signature]	9812362857
4	Vijay Singh	J.J.P	[Signature]	98723-39584
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-XII

Steno have to inform all one

19/9/24



सेवा में

क्रमांक: निर्वाचन-2024/2238

दिनांक: 19.09.2024

55-बाढडा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी

विषय:-

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 - Commissioning of EVMs/VVPATs regarding.

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मध्यनजर EVMs/VVPATs की 2nd Randomization उपरांत दिनांक 26.09.2024 को प्रातः 10:00 बजे जिला चरखी दादरी में पडने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नामतः 55- बाढडा व 56- दादरी से संबंधित EVMs/VVPATs Commissioning का कार्य क्रमशः Auditorium Hall, JDKDES Public School, Charkhi Dadri व Library Hall, JVMGRR PG College, Charkhi Dadri में शुरू किया जाना है।

अतः आप स्वयं/आपका चुनाव अभिकर्ता या आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उक्त स्थानों पर तय समय पर पहुंचने का कष्ट करें ताकि आपकी उपस्थिति में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room खुलवा कर EVMs/VVPATs की Commissioning का कार्य शुरू करवाया जा सके।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024/2239

दिनांक 19.09.2024

इसकी एक प्रति जिला के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि वह दिनांक 26.09.2024 को प्रातः 10:00 बजे अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में Strong Room खुलवा कर EVMs/VVPATs की Commissioning का कार्य शुरू करवाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र को अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों/चुनाव अभिकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवा कर पावती प्राप्त करने का भी कष्ट करें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024/2240

दिनांक 19.09.2024

- इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ़।
 2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रति:- निजी सहायक, उपायुक्त महोदय



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-XIII

क्रमांक: निर्वाचन-2024/2591

दिनांक: 02.10.2024

सेवा में

55-बाढडा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लडने वाले सभी अभ्यार्थी।

(रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से)

विषय:-

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव- 2024- मतदान के लिए मतदान पार्टियों को निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Strong Room खोलने बारे।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव- 2024 के मध्यनजर जिला चरखी दादरी में पडने वाले दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नामतः 55- बाढडा व 56- दादरी में मतदान के लिए दिनांक 04.10.2024 को मतदान पार्टियों को निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवा कर मतदान के लिए रवाना किया जाएगा। इसलिए मतदान पार्टियों को निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 04.10.2024 को प्रातः 08:00 बजे दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का Strong Room खोला जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं/आपका चुनाव अभिकर्ता या आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अधिकृत पत्र के साथ दिनांक 04.10.2024 को प्रातः 08:00 बजे अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room कमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri (55-Badhra) & JVMGRR PG College, Charkhi Dadri (56-Dadri) में पहुंचने का कष्ट करें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024/2592

दिनांक 02.10.2024

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ।
2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)।
3. जिला के सभी रिटर्निंग अधिकारी।


कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रति:- निजी सहायक, उपायुक्त महोदय।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2024-स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा CPF गार्ड को सौंपने बारे ।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2024 के मध्यनजर जिला चरखी दादरी के अन्तर्गत पड़ने वाले 55.-बाढड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र नं० 1 से...239 तक की ई.वी.एम.(सी.यू./बी.यू./वी.वी.पैट.) मतदान के उपरान्त निश्चित स्ट्रॉग रूम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षित रखवा दी गई है तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु कैमरों की व्यवस्था भी कर दी गई है। स्ट्रॉग रूम को बन्द करने के बाद उस पर सील लगाई गई । सीलिंग के समय भारत निर्वाचन आयोग के केन्द्रीय पर्यवेक्षक, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी, सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी तथा निम्नलिखित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि भी उपस्थिति थे ।

Handed Over(RO)


06/10/24



Taken Over(AC, SSB)


06/10/24

Place: Charkhi Dadri

Dated: 05.10.2024

स्ट्रॉग रूम सीलिंग प्रक्रिया के दौरान उपस्थित चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी/चुनाव अभिकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधियों का विवरण

Sr. No.	Name of Contesting Candidate/Election agent/Authorized Representative	Signature
1	Vinay Motu Sombarsingh	
2	Vinay Sangwan Sumveer	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

(6)

Annexure-XV

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2024-स्ट्रॉंग रूम खोलने बारे ।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2024 की मतगणना हेतु 55.-बाढडा निर्वाचन क्षेत्र का Strong Room आज दिनांक 08.10.2024 को प्रातः 07:00 बजे खोला गया। Strong Room खोलते समय जिला निर्वाचन अधिकारी/केन्द्रीय पर्यवेक्षक/55.-बाढडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तथा निम्नलिखित अभ्यार्थी/प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

Place: Charkhi Dadri

Dated: 08.10.2024

स्ट्रॉंग रूम खोलने की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी/चुनाव अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधियों का विवरण

Sr. No.	Name of Contesting Candidate/Election agent/Authorized Representative/Counting Agent	Signature
1	YASHVIR	
2	SANDEEP	Sandeep
3	Umed Patwas	
4	Itender Singh Sheoran	
5	Vijay Panchgaj	
6	Amit Kumar	Amit Kumar
7	JOMVIR SINGH	Jomvir Singh
8	Shivam (Agent Ashok)	Shivam
9	Sumanveer (Sambir Ghoshal)	Sumanveer (Age
10		
11		
12		
13		
14		
15		



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure - XVI

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/1715
सेवा में,

दिनांक : 12/08/2024

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव,

विषय FLC ok unit व CUs Pink Paper Seal की सूची उपलब्ध करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर लिखा जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार FLC Completion उपरान्त FLC Ok Units व CUs Pink Paper Seal की सूची आपको उपलब्ध करवाई जानी होती है। उक्त निर्देशों की अनुपालना में आपको इस पत्र के साथ FLC OK Units व CUs Pink Paper Seal की सूची आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

Ash
कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी

पृ० क्रमांक निर्वाचन-2024/1716

दिनांक: 12/08/2024

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

Ash
कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी

Received

S. J.

SANJEEV GODARA

Aam Aadmi Party

12 Aug 2024

Inform all contested candidates and get received notes

for 26/9/24 store

To, Retiring Officer-cum-
SDO (C), 55-Badhra/56-Dadri.

Annexure - XVII

Memo No. 9305

Dated:- 26 09.2024

Sub:- Inspection of Accounts of Contesting Candidates.

--00--

On the subject cited above it is informed that W/Expenditure Observer has desired to fix the next date of inspection on 03.10.2024 instead of already fixed for 02.10.2024. So, you are requested to inform all contesting candidates to appear with relevant record before the Expenditure Observer on 03.10.2024 at 10:00 am for inspection/ reconciliation of expenditure account.

Rajv

(Rajeev Sharma)
Nodal Officer (EMC)-cum-
AETO (Sales Tax), Bhiwani/Dadri

Enst. No. 9306

Dated:- 26.09.2024

A copy of above is forwarded to Deputy Commissioner-cum District Election Officer, Charkhi Dadri for kind information, please.

Rajv

(Rajeev Sharma)
Nodal Officer (EMC)-cum-
AETO (Sales Tax), Bhiwani/Dadri

RChhabra

8053744445
INDEPENDENT

Rajv

981792
AAP Party

[Signature]
27/09/24

91812362857 INLD

[Signature]
BSP

9812706825

[Signature]
R. V. [Signature]

9466756507

[Signature]
D. N. C

Monu
9671951866 → JJP

From all candidate
Jul 2024/24 Stw

General Election To Legislative Assembly Haryana-2024

From

Deputy Commissioner-cum-
District Election Officer, Charkhi Dadri.

To

All the Contesting Candidates,
55-Badhra & 56-Dadri Assembly Constituency.
(Through Returning Officer)

Memo No. Election-2024/2380

Date: 25.09.2024

Subject-

Notice- Appointment of Counting Agents.

As you are well aware that counting of 55-Badhra & 56-Dadri Assembly Constituency (General Election to Legislative Assembly of Haryana- 2024) will commence at 08:00 A.M. on 08.10.2024. Each candidate is allowed to appoint as many counting agents as there are counting tables including table meant for Returning Officer. In each assembly constituency there will be 14 tables for counting of EVMs, 6 tables for counting of ETPBs/PBs and 1 table for Returning Officer. Therefore, for counting of EVMs/ETPBs/PBs 20 nos of counting agent are required per assembly constituency. In addition to above, each contesting candidate may be appoint One counting agent for ETPBs scanning Pre-Counting table. Appointment of counting agent is to be made either by the candidate himself or by his/her election agent in Form-18. Two copies of Form-18 with photograph pasted on each copy and one additional photograph (Passport size) for identity and may be submitted to the Returning Officer by the candidate himself/herself or by his/her election agent latest by 05.00 P.M three days prior to the date fixed for counting of votes. Any candidate/election agent who is/are interested in appointment of counting agent can avail Form-18 from the office of concerned Returning Officer of Assembly Constituency. Only those counting agents will be allowed to enter into the counting hall if he/she possesses 2nd copy of Form-18 and photo identity card. In absence of these the counting agent shall be denied entry in the counting hall. Once the counting has commenced, no appointment of fresh counting agent can be made. He should keep sitting/standing at the table allowed to him. He will not be allowed to move about all over the Hall. In this regard you were also briefed in detail in the various meetings held with you your representatives. In view of the instructions issued by ECI you are also requested to properly trained your counting agents.

Adh

For: Deputy Commissioner-cum
District Election Officer,
Charkhi Dadri

Endst.No. Election-2024/2381

Date: 25.09.2024

A copy is forwarded to all Returning Officer for information and necessary action.

Adh

For: Deputy Commissioner-cum
District Election Officer,
Charkhi Dadri



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure - XVII

To

All Contesting Candidates/Election Agents of
55-Badhra & 56-Dadri Assembly Constituencies.
(Through Returning Officers)

Memo- Election-2024/ 2369

Date: 25.09.2024

Subject- General Election to legislative Assembly of Haryana- 2024- Notice/Information to the Candidates/Election Agents regarding various important activities related to the election.

On the above noted subject, it is intimated that various dated bound activities are to be completed at the Assembly Constituency level related to the Elections. The details are as under:-

Sr. No.	Details of activities	Schedule
1	Voter information slips will be distributed to the Electors along with Voters Guide and invitation letter of the ECI.	23.09.2024 to 30.09.2024
2.	EVMs will be commissioned and prepared at Assembly Constituency level at following locations:- 1. 55- Badhra- Auditorium Hall, JDKDES Public School, Charkhi Dadri. 2. 56- Dadri- Library Hall, JVMGRR PG College, Charkh Dadri.	Start from 26.09.2024
	After completion of the commissioning process i.e. symbol loading process. SLU containers will be sealed. The candidates of their representatives are allowed to be present and sign the seals pasted on SLU container..	29.09.2024 at 06:00 P.M
3.	1. Mock Poll in 5% randomly selected EVMs 2. After commissioning sealing of strong Rooms of EVMs and VVPATs Assembly Constituency wise. You are requested to remain present during mock poll and sealing of strong rooms thereafter.	29.09.2024 at 09:00 A.M
4.	Voters Facilitation Centre will be set up for the polling for Voter on Election Duty at following locations:	30.09.2024 To 04.10.2024
	1. 55-Badhra at JDKDES Public School, Charkhi Dadri. 2. 56-Dadri at JVMGRR PG College, Charkhi Dadri.	
	Political Parties / Contesting candidates can send their representatives to witness the process of voting at the V.F.Cs. Candidates may also sit and watch the process of voting.	



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI DADRI

जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।



5.	Home voting in all Assembly Constituencies of District- Charkhi Dadri will be done for AVSC and AVPD voters by polling parties. You may appoint Polling agents in Form 10 or authorized representatives (including BLAs) to witness this process.	Ist Visit – 27.09.2024 to 28.09.2024 2 nd Visit- 29.09.2024
	After the completion of Commissioning, Sealed SLU containers deposited with District Election Officer. Therefore you are requested to remain present at Strong Rooms.	29.09.2024 at 06:00 PM
6.	Shifting of EVMs/VVPATs found Defective during Commissioning from Assemblies Strong Rooms to District EVM Warehouse. Therefore you are requested to remain present during Shifting of EVMs/VVPATs at Strong Rooms & District EVM Warehouse.	29.09.2024 at 06:00 PM
7.	Opening of Strong Room for Polling- Strong Rooms of all Assembly Constituencies will be opened on 04.10.2024 for the dispersal of EVMs to the Polling Parties. Therefore you are requested to remain present during opening of the Strong Rooms.	04.10.2024 at 08:00 AM
8.	Strong Room Sealing after Polling (Category A&B)- Catogary A- (Polled EVMs & VVPATs) and Catogary-B (Non-functional polled EVMs & VVPATs) EVMs & Election papers of all Assembly Constituencies will be sealed in the strong rooms of their respective Assembly Constituency after completion of Poll. Therefore, you are requested to remain present during sealing og the Strong Rooms.	05.10.2024 at 10:00 PM (Approx)
9.	Storage of Category C [non-functinal polled EVMs and VVPATs (failed during mock poll)] and Category D (unused reserved EVMs & VVPATs). Category C&D EVMs of all Assembly Constituencies will be deposited at district EVM warehouse, Charkhi Dadri.	05.10.2024 at 10:00 PM (Approx)
10.	Opening of Election Papers Strong Room for taking out Election Papers for scrutiny of Polling- All constesting candidates are intimated that Election papers strong room of all Assembly Constituencies of District will be opened and scrutiny of Election Paper of Polling will be done on 06.10.2024 at 11:00 A.M at Meeting Hall No. 1, Mini Secretariat, Charkhi Dadri.	06.10.2024 at 11:00 AM.

✓(11)




DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

11.	Scrutinies of Polling- All contesting candidates are informed that scrutiny of Polling will be done on 06.10.2024 at 11:00 A.M at Meeting Hall No. 1, Mini Secretariat, Charkhi Dadri. After scrutiny all election papers will be resealed in the Election paper strong rooms of respective Assembly Constituency.	06.10.2024
12.	Monitoring of Strong Room of Polled EVMs- You may appoint your representative to monitor the Strong Rooms from the	05.10.2024 to 08.10.2024
13.	Opening of Strong Room for counting- Strong Rooms of all Assembly Constituencies will be opened on 08.10.2024 for the counting purpose. Therefore your requested to remain present during opening of the Strong Rooms.	08.10.2024 at 07:00 AM
14.	Sealing of EVM/VVPAT and other documents after counting- You are requested to remain present during the sealing process of EVM and Election papers after counting process.	08.10.2024 after counting

Therefore, all contesting candidates/Election Agents are requested to remain present during all activities as mentioned above on the given date, time and place. This is for your kind information and necessary action.



For: Deputy Commissioner-cum-
District Election Officer,
Charkhi Dadri.

Date: 25.09.2024

Endst. No. Election-2024/ 2370

A Copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action.

1. CEO, Haryana.
2. General Observer (Through Liason Officer)
3. ROs, 55-Badhra & 56-Dadri.


For: Deputy Commissioner-cum-
District Election Officer,
Charkhi Dadri.

Copy: PA to DC.



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-XVIII

क्रमांक: निर्वाचन-2024 / 2474

दिनांक: 28.09.2024


सेवा में

1. 55-बाढड़ा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी
2. जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव।

विषय:-

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024- Shifting of Defective EVMs / VVPATs- reg. हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मध्यनजर जिला चरखी दादरी में पड़ने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नामतः 55-बाढड़ा व 56-दादरी से सम्बन्धित EVMs / VVPATs की commissioning उपरान्त Defective पाई गई EVMs / VVPATs को 55-बाढड़ा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के Strong Room क्रमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri से District EVM Warehouse, Behind Sadar Thana Charkhi Dadri में स्थानान्तरित किया जाना है।


अतः आप स्वयं/आपका चुनाव अभिकर्ता या आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि EVMs/VVPATs स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान दिनांक 29.09.2024 को सांय 06:00 बजे अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित Strong Room क्रमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri, JVMGRR PG College, Charkhi Dadri व District EVM Warehouse, में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

कृते: 
उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2475

दिनांक 28.09.2024


इसकी एक प्रति जिला के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि आप उक्त बारे अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों/चुनाव अभिकर्ताओं को इस पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अवगत करवाते हुए पावती प्राप्त करने का कष्ट करें तथा अभ्यर्थियों/चुनाव अभिकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में Defective EVMs / VVPATs का स्थानान्तरण करवाने का कष्ट करें।


कृते: 
उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2476


दिनांक 28.09.2024

इसकी एक प्रति जिला स्तर पर नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी (EVMs/VVPATs) एवं कार्यकारी अभियन्ता (प0रा0), चरखी दादरी को भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि आप रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त Defective EVMs/VVPATs को अपनी देख-रेख में District EVM Warehouse, Charkhi Dadri में सुरक्षित रखवाना सुनिश्चित करें।


कृते: 
उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।


9812362857
INLD

Rec
Monu
9671951866
JJP


9416578214
(BJP-office-Badhra)

Rec
Harsh
9671967039
मोहम्मद अली मिर्जा
राज गजत
ATP


9416058025
कांग्रेस पार्टी



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2477

दिनांक 28.09.2024

इसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षका, चरखी दादरी को भेजते हुए अनुरोध है कि आप दिनांक 29.09.2024 को सांय 06:00 बजे 55-बाढडा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room क्रमशः JDKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri पर पर्याप्त पुलिस गार्ड उपलब्ध करवाने का कष्ट करे ताकि Defective EVMs/VVPTs सुरक्षित स्थानान्तरण करवाया जा सके।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2478

दिनांक 28.09.2024

इसकी एक प्रति पी0 एल0 ए0 शाखा, उपायुक्त कार्यालय चरखी दादरी को भेजते हुए निर्देश दिए जाते है कि आप दिनांक 29.09.2024 को सांय 05:00 बजे एक GPS लगा हुआ ट्रक JDKDES Public School, Charkhi Dadri में भेजना सुनिश्चित करें ताकि Defective EVMs/VVPTs सुरक्षित स्थानान्तरण करवाया जा सके।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2479

दिनांक 28.09.2024

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ।
2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रति:- निजि सहायक, उपायुक्त महोदय



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure-XIX

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2465
सेवा में,

दिनांक : 28.09.2024

1. Sh. Umesh Kumar, Principal, GSSS, Rehrodi (Harodi)
2. Sh. Yashpal, Principal GSSS, Rambas.
3. Sh. Preetam Kumar Principal, GSSS, Kari Dharni.
4. Sh. Shamsher Singh Principal, GGSSS, Baund Kalan.
5. Sh. Jaivir Singh Principal GSSS, Kari Adu.
6. Sh. Harikishan Rana, Principal GSSS, Chandwas.
(Through District Education Officer, Charkhi Dadri)

विषय :- हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024- मतदान उपरान्त EVMs/VVPATs के Strong Room की Monitoring बारे।

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मध्यनजर दिनांक 05.10.2024 को मतदान उपरान्त Polled EVMs/VVPATs व अन्य चुनाव कागजात को Strong Room में शील करवा दिया जायेगा। Hand Book for RO 2023 के Chapter 13 के बिन्दु नं0 13.54.5 के अनुसार Strong Room की सुरक्षा प्रबन्धों की Round the clock Monitoring के लिए एक राजपत्रित अधिकारी के साथ-साथ पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने की हिदायत हैं। उक्त हिदायतों की पालना में 55-बाढड़ा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के Strong Room क्रमश JKDES Public School, Charkhi Dadri व JVMGRR PG College, Charkhi Dadri के लिए आपको Strong Room की Monitoring के लिए दिनांक 06.10.2024 से दिनांक 08.10.2024 तक नियुक्त किया जाता है तथा निम्न अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व समय निर्धारित किया जाता है।

Sr. No.	No. & Name of AC	Name of Officer with Designation	Time
1	55-Badhra	Sh. Umesh Kumar, Principal, GSSS, Rehrodi (Harodi)	06:00 AM to 02:00 PM
2		Sh. Yashpal, Principal GSSS, Rambas	02:00 PM to 10:00 PM
3		Sh. Preetam Kumar Principal, GSSS, Kari Dharni	10:00 PM to 06:00 AM
4	56-Dadri	Sh. Shamsher Singh Principal, GGSSS, Baund Kalan.	06:00 AM to 02:00 PM
5		Sh. Jaivir Singh Principal GSSS, Kari Adu.	02:00 PM to 10:00 PM
6		Sh. Harikishan Rana, Principal GSSS, Chandwas	10:00 PM to 06:00 AM

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों से दिनांक 03.10.2024 को I- Card बनवा कर उक्त समय अनुसार Strong Room के सुरक्षा व्यवस्था की Monitoring के साथ-साथ Proper Log Book भी Maintain करना सुनिश्चित करेंगे।

9812362857
INLD Monu
21/9/24 HAP

9416578214
BJP-Office-Badhra

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

9671951866
JJP

9416058025
कांग्रेस पार्टी



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2466

दिनांक: 28.09.2024

इसकी एक प्रति जिला के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि आप प्रतिदिन प्रातः व सांय व्यक्तिगत रूप से Strong Room की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने का कष्ट करें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2467

दिनांक: 28.09.2024

इसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षका चरखी दादरी को भेजते हुए अनुरोध है कि आप उक्त नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों के साथ Round the Clock पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का कष्ट करें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2468

दिनांक: 28.09.2024

इसकी एक प्रति 55-बाढड़ा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों (सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से) को भेजते हुए अनुरोध है कि आप अपने-अपने से सम्बन्धित Strong Room की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए अपने-अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का कष्ट करें।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ0 क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2469

दिनांक: 28.09.2024

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रति:- निजि सहायक समीप उपायुक्त महोदय।



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

क्रमांक: निर्वाचन-2024 / 2470

दिनांक: 28.09.2024

सेवा में


55-बाढड़ा व 56-दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी

विषय:-

Instructions on use of Symbol Loading Unit (SLU) and storage of SLUs after commissioning of EVMs and VVPATs - regarding.

उपरोक्त विषय पर लिखा जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार EVMs and VVPATs commissioning में प्रयुक्त SLU को commissioning उपरान्त आप सभी की उपस्थिति में Transparent Container में Seal करके जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवाया जाना है। इसलिए दिनांक 29.09.2024 को सांय 06:00 बजे आप सभी की उपस्थिति में प्रयुक्त SLU Treasury Double Lock में जमा करवाये जायेंगे।


अतः आप स्वयं/आपका चुनाव अभिकर्ता या आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कमरा: Auditorium Hall, JDKDES Public School, Charkhi Dadri व Library Hall, JVMGRR PG College, Charkhi Dadri के साथ-साथ Treasury Double Lock में पहुंचने का कष्ट करें।

कृते:  उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।


पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024 / 2471

दिनांक 28.09.2024


इसकी एक प्रति जिला के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि आप उक्त बारे अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों/चुनाव अभिकर्ताओं को इस पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अवगत करवाते हुए पावती प्राप्त करने का कष्ट करें तथा आप दिनांक 29.09.2024 को सांय 06:00 बजे अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों/ चुनाव अभिकर्ताओं व अभ्यर्थियों द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रयुक्त SLU Transparent Container में Seal करवाने का कष्ट करें।

 9416578214
(BJP-office. Bachra)

कृते:  उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।


9812362857
INLD
दीपिका 9671951866
AAP
JJP
100, 2185000

Rec
Harsh 9671967039
सापेक्ष विधानसभा निर्वाचन


9416058025
02/09/24



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI DADRI


जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।



पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024/2472

दिनांक 28.09.2024


इसकी एक प्रति खजाना अधिकारी, चरखी दादरी को भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वह दिनांक 29.09.2024 को सांय 06:00 बजे प्रयुक्त SLU के Sealed Transparent Container Treasury Double Lock में रखवाना सुनिश्चित करें।


कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ. क्रमांक निर्वाचन-2024/2473


दिनांक 28.09.2024

- इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ़।
 2. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय (लाईजन अधिकारी के माध्यम से)।


कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

प्रति:- निजि सहायक, उपायुक्त महोदय।

Attendance Sheet of All Contesting Candidates/Election Agents/Authorized Representative of 55-Badhra AC
During opening & closing of Strong Room having Form 17A & Other Documents in Presence of General
Observer & RO on Dated 06.10.2024 at 10:45 AM at JDKDES Public School, Charkhi Dadri

Sr No	Name of Contesting Candidates / Election Agents / Representative	Party Affiliation /Independent	Phone No.	Signature
1	VISAY MOTU	Congress Party	981206532	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Attendance Sheet of All Contesting Candidates/Election Agents/Authorized Representative of 55-Badhra AC
 During Scrutiny of 17A & Other Documents in Presence of General Observer & RO on Dated 06.10.2024 at
 11:00 AM at Meeting Hall No. 1, Mini Sect. Charkhi Dadri

Sr No	Name of Contesting Candidates / Election Agents / Representative	Party Affiliation /Independent	Phone No.	Signature
1	V D Dey Mohan	Congress	981201532	A
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

सेवा में

Annexure - XXI

श्रीमान S.D.M
आदरा (च. कादरी)

विषय:- ETBP/PB - वैलर पैपर की गिनती जल्दी जारी
करने हेतु।

श्रीमान जी,

~~जैसा कि आपको जानकी~~

हम सभी प्रयाशों मापस निवेदन करने हेतु कि
वैलर पैपर की गिनती को जल्द से जल्द पूरा किया
जाये ताकि मसाला जल्द समय में पूरी हुये जाये
ए.एम. 11:00 एम 08/10/2024

11 A.M

08/10/2024

सत्यवादी

INC श्री सोमवीर सिंह Somvir Singh
11 AM श्री विजय शंभरराव Vengra 11 AM

IND श्री सोमवीर वैलर महेश्वर
महेश्वर जेवली Maheshwari
1 चैत।सिंह

Sandeep

andikhat Jto

JJP

Received
08/10/24



DISTRICT ELECTION OFFICE, CHARKHI. DADRI



जिला निर्वाचन कार्यालय, चरखी दादरी।

Annexure - XXII

सेवा में

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/2790

दिनांक: 06.10.2024

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हरियाणा चण्डीगढ़।

विषय:-

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024- Proceeding of the
Scrutiny of Form 17 A & Other Documents Reg.

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मध्यनजर आज दिनांक 06.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे सामान्य पर्यवेक्षक महोदय, रिटर्निंग अधिकारियों तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों/चुनाव अभिकर्ताओं की उपस्थिति में Form 17 A & Other Documents की Scrutiny प्रक्रिया उपरान्त रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त Proceeding of the Scrutiny of Form 17 A & Other Documents की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करके आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चरखी दादरी।

Proceeding of the Scrutiny of 17 A on 06-10-2024

The Scrutiny of Form 17 A & Other documents of 55-Badhra AC was conducted today 06-10-2024 at 11:00 AM in the presence of Candidates / Agents.


The Following PS were taken for scrutiny


1	In all polling station where any complaint of poll rigging malpractices etc. Was received by Observer, DEO or RO during the poll process.	Nil
2	In all polling station when any significant event (EVM related or otherwise) was reported to the Observer, DEO or RO during poll process.	Nil
3	In Polling stations where poll take place in the absence of any polling agent or in the presence of the agent of only one candidate	162 & 163 (Due to Election boycott)
4	In Polling stations where the number of electors who cast their votes using documents other than EPIC (i.e., alternative documents specified by the Commission) exceeded 25% of the total votes cast in that polling station.	PS No- 8, 21 & 51 Total PS- 3
5	In Polling stations where more than 10% of such electors who had been identified as ASD turned up and voted.	Nil
6	In Polling stations where polling percentage is plus 15% or minus 15% than the average polling percentage of that AC say for e.g. in a particular AC 60% voter have been cast in all polling stations with polling percentage 75% or more and 45% or less shall be taken up for scrutiny.	Less than 15% Polling Station No.- 162 & 163- 0.00% More than 15% Polling Station No.- 82- 87.59%
7	In Polling stations where there are at least 5 (Five) tendered voters/challenged reported	Nil
8	In Polling Station, where in 10% or more remarks column of Register of Voters (Form-17A) are blank and does not indicate use of the EPIC/alternate document.	Nil
9	In Polling Stations, where Micro Observer has submitted an adverse report.	Nil

In addition to above two Polling Stations No. 188 & 222 are also scrutinised due to EVMs/VVPATs replaced during actual poll.

There was no complaint/demand from the candidates/agents for scrutiny of any polling station, and poll was concluded peacefully at all polling stations. After the scrutiny of 17A, 17C, Presiding Officer Dairy, Micro Observer Report and Sector Magistrate report, all the documents are sealed and kept in strong room in presence of candidates / election agents.

No Repoll is recommended.


RO 6/10/24
55-Badhra


6/10/24
General Observer
55-Badhra